पुलिस आदेश सं० 205/88

पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित वरीय पदाधिकारियों के बीच कार्य वितरण सम्बन्धी पहले निर्गत किए गये सभी आदेश रद्द किये जाते हैं । अगले आदेश तक पदाधिकारियों के बीच कार्य के बँटवारे का विवरण निम्नवत् होगा :-

(1) आरक्षी महानिरीक्षक (प्रोविजन) :-

(क) क्रय तथा आपूर्ति सम्बन्धी कार्य
(ख) शस्त्र एवं आयुध सम्बन्धी कार्य
(ग) लेखन सामग्री एवं प्रपत्र ।

(2) आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण) :-

(क) पुलिस रेडियो तथा इस संवर्ग के सभी कार्य
(ख) टेली-कम्यूनिकेशन का प्रशासन तथा उसके स्थापना का कार्य
(ग) आधुनिकीकरण योजना तथा कम्प्यूटर सम्बन्धी सभी कार्य
(घ) पुलिस विभाग के सभी संवर्ग (भा०आ०से०को छोड़कर) के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था
(ङ) भवन से सम्बन्धित सभी कार्य ।

उप-महानिरीक्षक, वितन्तु एवं आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (वितन्तु) उपरोक्त कार्यों में आरक्षी महानिरीक्षक, प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण को मदद करेंगे एवं उप-महानिरीक्षक, वितन्तु एवं महानिरीक्षक के सहायक (वितन्तु) के बीच कार्यों का बंटवारा महानिरीक्षक, प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण द्वारा किया जायेगा ।

(3) आरक्षी महानिरीक्षक (कार्मिक) :-

(क) उ०म०नि० (प्रशासन), उ०म०नि० (कार्मिक), स०म०नि० (कल्याण), स०म०नि० (प्रशासन), स०म०नि० (कार्मिक), स०म०नि० (निरीक्षण) तथा स०म०नि० (बजट) के कार्यों का पर्यवेक्षण
(ख) भा०आ०से० से सम्बन्धित सभी मामले (गोपनीय अभ्युक्तियाँ [illegible]
(ग) वरीय पुलिस पदाधिकारी मेस का कमरा आरक्षण
(घ) पुलिस पदक ।

(4) उप-महानिरीक्षक (प्रशासन) :-

(क) स०म०नि० (निरीक्षण), स०म०नि० (कार्मिक) तथा स०म०नि० (बजट) [illegible] सभी कार्यों का पर्यवेक्षण
(ख) [illegible] तथा पुलिस ड्यूटी मीट सम्बन्धी सभी कार्य ।

कृ०पृ०उ०

(5) सहायक आरक्षी महानिरीक्षक (कार्मिक) :-

(क) अवर निरीक्षक के समकक्ष तथा उससे कनीय सभी पदाधिकारियों प्रतिनियुक्ति, सम्वर्गीय तथा कार्मिक मामले (आशु अ0नि0 तथा स0अ0नि0 को छोड़कर)

(ख) पुलिसकर्मियों की भारत सरकार/राज्य सरकार के अन्य विभागों प्रतिनियुक्ति

(ग) प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम, पुलिस बल में अनु0जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य

(घ) परिष्ट्न मुख्यालय (एच0क्यू0आर0टी0) संबंधी सभी कार्य

(ङ) कार्मिक (एम0) सम्वर्ग के सभी कार्य

(च) आरक्षी महानिदेशक कार्यालय के अनुसचिवीय सम्वर्ग एवं स्थापना से सम्बन्धित सभी कार्य/ सरकारी आवास आवंटन सहित ।

(6) सहायक आरक्षी महानिरीक्षक (निरीक्षण) :-

(क) उपाधीक्षक से सम्बन्धित सभी मामले (आरोप एवं गोपनीय अभ्युक्ति उपार्जित अवकाश, प्रभार, क्रय-विक्रय अनुमति तथा वर्दी भत्ता सहित)

(ख) अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, छुट्टियों, प्रकाशन, प्रेस कतरन, सी0बी0आई0बुलेटीन, गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस इत्यादि सम्बन्धी कार्य

(ग) सम्मन, वारन्ट, विधि कोषांग तथा अभियोजन सम्बन्धी कार्य

(घ) विधि-व्यवस्था सम्बन्धी सभी प्रतिवेदन तथा गोपनीय प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्य (पुलिस गोलीकाण्ड सहित)

(ङ) महानिरीक्षक, उ0म0नि0 एवं आरक्षी अधीक्षकों के मासिक कार्य विवरणी एवं निरीक्षण टिप्पणियाँ

(च) आ0अनु0वि0/विशेष शाखा/विधि विज्ञान प्रयोगशाला/फोटो ... के स्थापना, कार्मिक तथा सम्वर्गीय कार्य ।

(7) सहायक आरक्षी महानिरीक्षक (क्रय) :-

(क) वस्त्रादि/जी0पी0/शस्त्र-आयुध/पुस्तकों का केन्द्रीय क्रय एवं ...

(ख) अश्वारोही सैन्य पुलिस से सम्बन्धित सभी कार्य (जिला ... प्रतिनियुक्ति छोड़कर)

(ग) जिला इकाईयों के लेखन सामग्री तथा प्रपत्रों के व्यादेशों का प्रति हस्ताक्षरण ।

(घ) पुलिस मुख्यालय का रक्षित कार्यालय

(ङ) पुलिस अनुसचिवीय तथा आयुधपाल संवर्ग से सम्बन्धित सभी ...

(च) महानिदेशक सम्मेलन, सभी मिटिंग, सेमिनार, सिम्पोजियम ।

(8) उप-महानिरीक्षक (कार्मिक) :-

(क) स0म0नि0 (प्रशासन) एवं स0म0नि0 (कल्याण) के सभी कार्यों का ...

(ख) परिचारी/परिचारी प्रवर/आ0नि0/सूबेदार संबंधी मामले (पी0टी0सी0/सी0टी0एस0प्रतिनियुक्ति सहित) ।

(9) सहायक आरक्षी महानिरीक्षक (प्रशासन) :-

(क) बजट, लेखा एवं वित्त शाखा के कार्य (अंकेक्षण सहित)
(ख) सभी पदों एवं थाना/चौकियों का सृजन तथा तत्संबंधी सरकारी अधिसूचना
(ग) अस्थायी पदों का सृजन एवं प्रतिधारण
(घ) निर्वाचन सम्बन्धी कार्य
(ङ) अंगरक्षक, बैंकों में सेक्युरिटी गार्ड भुगतान के आधार पर
(च) राज्य वित्त आयोग संबंधी कार्य
(छ) वाह्य प्रतिनियुक्ति ।

(10) सहायक आरक्षी महानिरीक्षक (कल्याण) :-

(क) सभी सेवा संघों से संबंधित कार्य एवं तत्संबंधी विशेष शाखा का प्रतिवेदन
(ख) लोकसभा/राज्य-सभा तथा विधान मण्डलीय कार्य
(ग) अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के मामले
(घ) आरक्षी निरीक्षक तथा उससे कनीय पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप
(ङ) आशु अ0नि0, स0अ0नि0, चौकीदार तथा दफादार के कार्मिक तथा सामान्य मामले
(च) पुलिस अस्पताल, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, कल्याण कोष से वित्तीय सहायता, सिपाही से लेकर अ0नि0 तक के अभ्यावेदन एवं मेमोरियल लंबित विभागीय कार्यवाही एवं निलंबन का मासिक विवरणी, आ0नि0 का बकाया वेतन एवं राष्ट्रीय पुलिस आयोग
(छ) सेनाकर्मियों के कल्याण कार्य ।

ह0/- [illegible]
6/7/88

(ज0 मो0 कुरेशी)
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 22V2 /पी0
7/7/88

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना ।
पटना, दिनांक 6 जुलाई, 1988 ।

प्रतिलिपि:- 1. सभी सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।
2. सभी महानिदेशक/सभी महानिरीक्षक/सभी उप-महानिरीक्षक/सभी आरक्षी अधीक्षक स्तरीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ ।

ह0/- [illegible]
6/7/88

(ज0 मो0 कुरेशी)
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।